न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, रंका।

विविध अपील वाद सं0– 08/2019–20

चुटुर प्रजापति वगैरह बनाम् सेराजुदीन अंसारी वगैरह

दिनांक	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश	अभ्युक्ति
10.02.25	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक चुटुर प्रजापति पिता– तपेश्वर प्रजापति ग्राम– पाल्हे थाना– रंका, जिला– गढ़वा द्वारा प्राप्त आवेदन के आलोक में वाद दायर किया गया है। उपरोक्त वाद में प्रथम पक्ष का कहना है कि ग्राम– पाल्हे के पुराना खाता सं0– 1 के प्लॉट सं0– 30 से संबंधित राजस्व वाद सं0– 03/2019 में जॉच प्रतिवेदन अंचल कार्यालय, रंका के अंचल अधिकारी ने दिनांक– 22.10.2019 को अपना हस्ताक्षर रिर्पोट अनुमण्डल कार्यालय, रंका को दिया गया है। रिर्पोट में उन्होने साफ बताया है कि मौजा पाल्हे खाता सं0– 1 प्लॉट सं0– 30 की कुल रकबा– 22.30 ए0 जमींदार द्वारा बिहार सरकार को दिया गया था। परन्तु उसके विरूद्व अंचल कार्यालय, रंका द्वारा कुल रकबा– 24.50 ए0 भूमि की सरकारी बंदोबस्ती 6 व्यक्तियों को कर दी गई जबकि अंचल कार्यालय, रंका को उक्त प्लॉट में कुल 22.30 ए0 भूमि ही प्राप्त है।	

क्र0 सं0	खाता	प्लॉट	रकबा	रैयत का नाम
1	1/13	30/47	5 ए0	बुधु दुसाध
2	1/14	30/48	5 ए0	बेलास दुसाध
3	1/15	30/49	5 ए0	माली दुसाध
4	1/16	30/50	2 ए0	नन्हक खां
5	1/12	30/51	2.50 ए0	राजेश्वर प्रसाद(लाल)
6	1/62	30/62	5 ए0	लेदा घासी
कुल रकबा–			24.50 ए0	

इसको सुधार करने एवं करवाने की कृपा की जाय तथा साथ ही साथ ज्यादा भूमि की बंदोबस्ती को खारीज किया जाय। अंचल कार्यालय रंका के अंचल अंधिकारी द्वारा वाद सं0– 03/2019 में जॉच प्रतिवेदन की रिर्पोट में खाता सं0– 1 प्लॉट सं0– 30 की भूमि के बारे में अभी भी अनुमण्डल कार्यालय सह उपसमाहर्ता, रंका के श्रीमान् को से छुपाते हुए

सत्य जानकारी दी गई है यह साफ नही किया गया है
कारी बंदोबस्ती किस वर्ष में किसके आदेश पर किस व्यक्ति को दिया
गया है एवं रजिस्टर 2 से संबंधित सही एवं सत्य जानकारी छुपाई गई एवं
पुराना विवरण नही दिया गया है अंचल कार्यालय रंका के अधिकारी की
यह रवैया साफ बताती है कि सरकारी दस्तावेज में जानबुझकर घपला की
गई एवं की जा रही है। राजेश्वर प्रसाद के नाम से ग्राम पाल्हे के मौजा
पाल्हे के खाता सं0– 1 प्लॉट सं0– 30 रकबा– 2.50 ए0 भूमि जो अंचल
कार्यालय, रंका के रजिस्टर 2 में नामांकन दर्ज है एवं डिमाण्ड चलता है।
जब बिहार सरकार के भूमि सुधार अधिनियम 1950 के प्रभाव से जमींदारी
खत्म हुआ और जिसका जोत–कोड़ की भूमि का माल निर्धारण होने लगा
तो राजेश्वर प्रसाद(लाल) के नाम से उनकी और अन्य जोत कोड़ के भूमि
के साथ–साथ मौजा पाल्हे के खाता सं0– 1 प्लॉट सं0– 30 में रकबा– 2.
50 ए0 भूमि कि माल निर्धारण भूमि सुधार अधिनियम के तहत किया गया
है। जबकि अंचल कार्यालय, रंका के अंचल अधिकारी द्वारा श्रीमान्
अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका को गलत एवं आधी–अधुरी जानकारी दी गई
कि राजेश्वर प्रसाद को भूमि सरकारी बंदोबस्ती द्वारा दी गई है। स्व0
राजेश्वर प्रसाद द्वारा उक्त भूमि का बड़ा हिस्सा लगभग 40 वर्ष पहले ही
बिक्री निबंधित केवाला द्वारा अन्य व्यक्ति को कर दिया गया है तथा उस
बिक्री में से बची हुई 38 डी0 भूमि को राजेश्वर प्रसाद (लाल) के नाम
रजिस्टर 2 में नामांकन दर्ज है एवं डिमाण्ड चलता है एवं उनके पुत्र द्वारा
मालगुजारी रसीद कटवाया जाता है एवं उनके पुत्रों के देख–रेख में है
तथा हमलोग द्वारा उस जमीन की खरीद हुई है। जो बहुत पहले से
हमलोग शांतिपूर्वक ढंग से जोत–कोड़ करते आ रहे थे। विपक्षी सं0– 01
सिराजुदीन अंसारी खां के पिता स्व0 नन्हक खां के नाम पर जालसाजी कर
सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए अंचल कार्यालय रंका के मौजा
पाल्हे रजिस्टर 2 में दो जगह नाम दर्ज है। जैसे खाता सं0– 01 प्लॉट
सं0– 30 में 2 ए0 भूमि को नन्हक खां के नाम से नामांकन दर्ज रजिस्टर
2 में किया गया है। (2) 40 डिसमिल भूमि प्लॉट 30 में भी रजिस्टर 2 में
नन्हक खां के नाम से नामांकन दर्ज है। जो पुरी तरह गलत एवं
जालसाजी करते हुए सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़ कर घपला की गयी

है। इसलिए श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि ग्राम पाल्हे के मौजा पाल्ले के खाता सं0– 1 प्लॉट सं0– 30 में नन्हक खां के नाम से रजिस्टर 2 में दो जगह नामांकन दर्ज हैं चल रहे डिमाण्ड को अविलम्ब खारिज (रद) करने एवं करवाने की कृपा करें। क्योकि आये दिन उस प्लॉट पर विवाद जैसे मार–पीट, झगड़ा–झंझट, गाली–ग्लौज और मुकदमा होते रहता है जो श्रीमान् के न्यायालय में केस दर्ज का उदाहरण है। 3 से 4 वर्षो से विपक्ष द्वारा मार–पीट, झगड़ा–झंझट, गाली ग्लॉज और मुकदमा होते आ रहा है कि श्रीमान् को न्यायालय में जानकारी है यह सब घटना अंचल कार्यालय, रंका के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा गलत तरीके की गई सरकारी दस्तावेज में छेड़ छाड़ गड़बड़ी एवं घपला के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। कभी भी उक्त भूमि पर पक्ष के परिवार के लोग को जान–माल की छती हो सकती है।

इस वाद की कार्रवाई में द्वितीय पक्ष लगातार अनुपस्थित रह रहें है। नोटिस का तामिला प्राप्त है, प्रथम पक्ष एकपक्षिय कार्रवाई का अनुरोध कर रहे है, आवेदन पत्र प्राप्त है अंतिम अवसर देने के उपरांत भी विपक्षी अनुपस्थित थें इसलिए इस वाद की एकपक्षिय कार्रवाई करने का आदेश पारित किया जाता है।

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह हक स्वत्व एवं अधिकार से संबंधित विवाद है जिसका निर्धारण सक्ष्म न्यायालय में किया जा सकता है।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

10/2/25

उप समाहर्ता भूमि सुधार,
रंका।

10/2/25

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,
रंका।

Digitally signed by Parmesh Kushwaha
Date: 2025.11.05 12:06:46 +05:30
Location: 10.93.21.247